


न्यायालय श्रीमान सजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कार्ट रीवा (म०प्र०)



रामनिधि तनय राम प्रताप ब्रा० निवासी ग्राम डीही , पो० मांगी , तह० त्यौथर जिला रीवा (म०प्र०)

16.813

बनाम

राधाकान्त तनय श्री वासुदेव तिवारी निवासी ग्राम डीही, पो0 मांगी, तह0 त्थौथर जिला रीवा (म0प्र0)

R-3276-III/13

....गैर निगरानीकर्ता

.....निगरानीकर्ता

24813

भगर के अगर के निगरानी विरूद्ध, आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म०प्र०) के प्र०क्र० 23/अपील / 88–89 में पारित आदेश दिनांक 03.07.13 /

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू०रा०संहित 1959 ई0

मान्यवर

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

निगरानी प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

यह कि विवादित भूमि आ०नं० 438 नया नंबर 150 रकवा 0.33 एकड सन 1953—54 से निगरानीकर्ता के पिता के कब्जे में आयी व उनके जीवनकाल तक उनके कब्जे में रही तथा पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी आपसी हिस्सा बांट में निगरानीकर्ता को मिली जिस पर पिता की मृत्यु के बाद से निगरानीकर्ता का कब्जा दखल है । निगरानीकर्ता के पिता का कब्जा राजस्व अभिलेखों में सन 1953—54 से 60—61 तक के खसरे में दर्ज है । निगरानीकर्ता के पिता स्व० राम प्रताप एवं गैर निगरानीकर्ता के पिता स्व० वासुदेव के मध्य विवादित भूमि पर कब्जा को लेकर सन 1958 में विवाद हुआ था । प्रकरण नायब तहसीलदार के न्यायालय में चला उसके बाद कब्जे संबंधी विवाद में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र0-R.3276-III/13

जिला-रीवा

रामनिधी / राधाकान्त तिवारी

	रानानवार रावाकारत त्रावारा	
(1)	(2)	(3)
16.05.17	 प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 	
	3. चूिक आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।	
	4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर	
	दा.द. हो।	